न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/591

1. मथुरा लाल
2. उमर लाल पिसरान छीतर जी जाति मीना निवासी ग्राम नन्दगॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मांगी लाल आत्मज पत्ता जी जाति मीणा निवासी ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. कजोड आत्मज पत्ता जी जाति मीणा निवासी ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. मु0 पुष्पा बेवा ग्यारसा जाति मीणा निवासी ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. नन्दलाल आत्मज ग्यारसा जाति मीणा निवासी ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   3/2. बाबूलाल आत्मज ग्यारसा जाति मीणा निवासी ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. धापू पुत्री पत्ता पत्नी बिशना जाति मीणा निवासी ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. रामा आत्मज छीतर जाति मीणा निवासी ग्राम नन्दगॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. बजरंग लाल
7. रतन लाल पिसरान फून्दया जाति मीणा निवासीगण ग्राम भोलू मीणा की झोपडियॉ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. गेन्दया आत्मज लखा जाति मीणा निवासी ग्राम त्रिशुल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 20.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन

किया कि ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में साबिक खसरा नम्बर 311 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 312रकबा 06 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 467 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 468 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 469 रकबा 06 बीघा कुल रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा कायम हुए हैं । इसी ग्राम में खसरा नम्बर 315 रकबरा 16 बिस्वा स्थित है । उक्त भूमि में झरडा कुआ था किन्तु अब भूमि में कुआ अथवा झरडा नहीं है । वादग्रस्त आराजी वादीगण के पूर्वजों के समय से उनके कब्जे में चली आ रही है भूमि इस समय नये भू–प्रबन्ध के अनुसार वादी कम 1, 2 के खाते में अंकित है । उक्त भूमि वादी को बिल एवज 25/– रूपये जमा कराके प्राप्त हुई थी तथा नियमन किया गया था । तब से ही उक्त भूमि वादी के कब्जे में चली आ रही है । प्रतिवादीगण ने वादीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर पुराने 312 के पश्चिमी ओर की 15 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 315 की उत्तरी ओर की लगभग 09 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से बिना किसी अधिकार के जबरन कब्जा कर यिला और अभी भी कब्जा बनाये हुए हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 312 की पश्चिमी ओर की 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 315 की उत्तरी ओर की 09 बिस्वा भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे । वादीगण को प्रतिवादीगण से जब तक कब्जा वादीगण को नहीं दिया जावे उस तिथि तक क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दिलायी जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2010 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी छीतर की दिनांक 02.01.1993 को मृत्यु हो गयी थी जिसकी सूचना भी अभिभाषक द्वारा न्यायालय में दे दी गयी थी किन्तु रेस्पोडेन्ट वादी द्वारा प्रतिवादी छीतर के उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाये बिना ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद डिक्री कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट का वाद कई बार खारिज हुआ है जिसे नम्बर पर लने के बाद प्रतिवादीगण को कोई सूचना नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय छीतर के खाते की अन्य भूमियों के साथ कब्जे काश्त में चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता छीतर लाल के जीवनकाल से ही कब्जे काश्त में चली आ रही है । रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि दिनांक 19.10.2015 को रेस्पोडेन्ट वादी ने अपीलान्ट के मौके पर खेती करने

वाले व्यक्तियों को भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी जिस पर अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 27.11.2015 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट मांगीलाल ने स्वर्गीय छीतर एवं अन्य के खिलाफ एक दावा सन् 1975 में अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था और यह कथन किया था कि ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली में आराजी खसरा नम्बर 311 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 312/6 जिसका नया खसरा नम्बर 467 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 468 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 469 रकबा 06 बीघा कुल 07 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । खसरा नम्बर 315 रकबा 16 बिस्वा ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा में स्थित है । वादी ने यह कथन किया है कि सवंत् 2023 में यह आराजी उनको नियमन हुई थी और प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 312 की पश्चिमी तरफ 15 बिस्वा भूमि एवं खसरा नम्बर 315 की उत्तरी तरफ की 09 बिस्वा भूमि पर संवत् 2031 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है । अतः प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे । सन् 1987 में उप जिलाधीश नैनवा ने दावे को आंशिक रूप से डिक्री किया जिसकी अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के द्वारा मौके पर पैमाइश करवा कर अपना निर्णय पारित करने का आदेश दिया । पत्रावली तहसीलदार हिण्डोली को पैमाईश रिपोर्ट के इंतजार में चलती रही । इसके बाद दावा दिनांक 23.02.1999 को अदम हाजरी में खारिज हो गया । दिनांक 07.04.1999 को पुनः नम्बर पर ली गई । छीतर की मृत्यु की सूचना न्यायालय को दी गई । कायममुकामान बनाने के लिए दिनांक 18.06.99 की तारीख पेशी नियत की गई परन्तु वादी ने कायममुकामान बनने के लिए प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया दिनांक 04.06.2004 को पुनः दावा खारिज हो गया। दिनांक 22.03.2006 को पुनः नम्बर पर लिया गया । अभिभाषक प्रवीण जैन को कमीश्नर नियुक्त किया गया और उनकी रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 05.05.2010 को दावा डिक्री किया । छीतर के उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाये बिना मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है । अपीलीय न्यायालय के द्वारा पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु पैमाईश रिपोर्ट तहसील से प्राप्त नहीं की गई है और एक अभिभाषक को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया । इस प्रकार रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी ने बेदखली का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था और यह कथन किया था कि खसरा नम्बर 312 की पश्चिमी तरफ 15 बिस्वा भूमि और खसरा नम्बर 315 की उत्तरी तरफ की 09 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे । दावा दिनांक 20.03.1987 को आंशिक रूप से डिक्री किया गया । अपील किये जाने पर पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गई । इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः सुनवाई की गई मौका कमीश्नर को नियुक्त किया गया, मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई और विधि सम्मत

निर्णय पारित किया है । अपील काफी विलम्ब से पेश की गई है । धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के समुचित कारण नहीं बताये गये हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2010 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2020–23 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 312 की आराजी फत्ता आत्मज टूण्डा के खाते में दर्ज है ।

13. पत्रावली पर बयान वादी मांगीलाल लाल पीडब्ल्यू–1, रामेश्वर पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

14. प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दिनांक 20.03.1984 को दावा वादी आंशिक रूप से किया गया है । उक्त आदेश की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में करने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 26.11.1988 से प्रकरण इन तथ्यों के साथ रिमाण्ड किया गया है था कि पक्षकारों की मौजूदगी में मौके पर विशेष दल के द्वारा सही पैमाईश करवायी जाकर सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर निमयानुसार निर्णय पारित करें । प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मौका कमीश्नर से दिनांक 11.09.2008 को रिपोर्ट प्राप्त की गई है ।यह रिपोर्ट एडवोकेट प्रवीण कुमार जैन से प्राप्त की गई है जबकि रिमाण्ड निर्देशों में पक्षकारो की उपस्थिति में विशेष दल से पैमाईश कराने के निर्देश दिये गये थे । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2010 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.1988 में प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में आराजी की पैमाईश करवा कर नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.05.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा